न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
58/2009	05.03.2014	01.04.2015

1. रामचरण पुत्र कल्ला, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
2. रामखिलाडी पुत्र कल्ला, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
3. रामनिवास पुत्र कल्ला,माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी

---वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र बदरी, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
2. भरतलाल पुत्र बदरी, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
3. रामकेश पुत्र बदरी, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
4. रामपति बेवा बदरी, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
5. फूल्या पुत्र कल्ला, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
6. श्योपाल पुत्र कल्ला, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
7. पांच्या पुत्र कल्ला, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
8. रामबल पुत्र मोती, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी (मृतक)

8/1 सूरजमल पुत्र रामबल, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी

8/2 गुलबाई पत्नि रंगलाल पुत्री रामबल, माली निवासी झोड, बामनबडौदा के पास तहसील गंगापुरसिटी

9. रामसहाय पुत्र मोती, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
10. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्रीमती मीना शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 ता 7 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता कल्ला पुत्र गोपाल की खातेदारी भूमि बन्दोवस्त ख0नं0 631/1 रकबा 18 विस्वा, 634/1 रकबा 13 बीघा, 636/1 रकबा 7 विस्वा, 638/1 रकबा 2 विस्वा, 639/1 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा, 640/1 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, 641/1 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, 645/2 रकबा 19 विस्वा, 647/2 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, 653/2 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 736/1 रकबा 18 विस्वा, 740/1 रकबा 10 विस्वा, 742/1 रकबा 7 विस्वा, 744/1 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, 760/1 रकबा 2 विस्वा, 761/1 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, 763/1 रकबा 18 विस्वा, 1026/1 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, 1029/1 रकबा 3 बीघा 9 विस्वा, 1030/1 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, 1032/1 रकबा 15 विस्वा, 1033/1 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा, 1034/1 रकबा 9 विस्वा, 1045/1 रकबा 15 विस्वा, 1046/1 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 1047/1 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, 1048/1 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, 756/1 रकबा 8 विस्वा, 754/1 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा कुल किता 29 रकबा 40 बीघा 3 विस्वा व खाता संख्या 185

सं0 2015 लगायत 2018 ख0नं0 622 रकबा 2 बीघा, ख0नं0 627 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 628 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा ग्राम [illegible] में है इनमें 1/2 हिस्सा कल्ला पुत्र गोपाल की खातेदारी की भूमि थी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता कल्ला पुत्र गोपाल ने सीलिंग से बचने के लिए अपनी खातेदारी भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा बराबर दर्ज करने के बजाय नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 19.5.57 के मुताबिक ख0नं0 831/1 रकबा 18 बिस्वा, 1029/1 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 1030/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 754/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व 4 के पति बद्री पुत्र कल्ला के नाम दर्ज कर दिया तथा नामान्तरकरण सं0 17 दिनांक 19.5.57 के ख0नं0 634/1 रकबा 13 बिस्वा, 763/1 रकबा 18 बिस्वा, 639/1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 1045/1 रकबा 15 बिस्वा, 1046/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा फूल्या पुत्र कल्ला के नाम दर्ज कर दिया तथा नामान्तरकरण सं0 18 दिनांक 19.5.57 के ख0नं0 740/1 रकबा 10 बिस्वा, 761/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1032/1 रकबा 17 बिस्वा, 647/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1032/1 रकबा 17 बिस्वा, 647/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 653/1 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा श्योपाल पुत्र कल्ला के नाम दर्ज कर दिया तथा नामान्तरकरण सं0 19 दिनांक 19.5.57 से ख0नं0 1026/1 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 1033/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 645/1 रकबा 19 बिस्वा, 1048/1 रकबा 3 बीघा 2बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा पांच्या पुत्र कल्ला के नाम दर्ज कर दिया तथा सं0 2015 से 2018 में ख0नं0 636/1 रकबा 7 बिस्वा, 638/1 रकबा 2 बिस्वा, 640/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 641/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 736/1 रकबा 18 बिस्वा, 742/1 रकबा 7 बिस्वा, 744/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा 760/1 रकबा 2 बिस्वा, 1034 रकबा 9 बिस्वा, 756/1 रकबा 8 बिस्वा कल्ला पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 व मोती पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 के नाम बाकी रही । एकीकरण में कल्ला पुत्र गोपाल के नाम भूमि ख0नं0 450 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, 466 रकबा 15 बिस्वा, 475 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, पांच्या पुत्र कल्ला के नाम ख0नं0 427 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, 454 रकबा 19 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा, फूल्या पुत्र कल्ला के नाम ख0नं0 431 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 460 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 465 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा कायम किए गए । बदरी पुत्र कल्ला के नाम ख0नं0 433 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, 443 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कायम किए गए । श्योपाल पुत्र कल्ला के नाम ख0नं0 434 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 459 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कायम किए गए । वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैत्रक आराजियात के हाल सेटिलमेंट में नये नम्बर 1357, 1358, 1359, 1360, 1437, 1200, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1449, 1450, 1118, 1368, 1434, 1210, 1211, 1212, 1213, 1196, 1203, 1204, 1205, 1206, 1353 कायम किए गए हैं तथा ख0नं0 1452 रकबा 96 एयर में फूल्या वल्द कल्ला के साथ रामसहाय, रामबल पिसरान मोती को हिस्सा बराबर 1/2 का खातेदार दर्ज किया हजै इसीलिए रामसहाय, रामबल को मुकदमे में पक्षकार बनाया है जबकि उनके खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। कल्ला पुत्र गोपाल के मरने के बाद उनकी विरासत ख0नं0 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1227 वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम उनके हिस्से अनुसार दर्ज हो चुकी है। वादीगण भी कल्ला

पुत्र गोपाल के पुत्र हैं तथा प्रतिवादीगण के साथ समस्त पैत्रक भूमि में उनका बराबर हिस्सा है। प्रतिवादीगण ने बिना कोई विधिक विभाजन कराए रेवेन्यु कर्मचारियों से मिलकर भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया है जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का समस्त भूमि पर उनके हिस्से अनुसार निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। रेवेन्यू रिकार्ड में उक्त गलत इन्द्राज बने रहने से वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूरी पूरी संभावना है। वादीगण को इस गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 29.6.09 को पटवारी हलका से हुई है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 ता 7 डिक्री किया जाकर ग्राम तलावडा में स्थित भूमि हाल ख0नं0 1200, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1449, 1450, 1188, 1368, 1434, 1210, 1211, 1212, 1213, 1357, 1358, 1359, 1360, 1437 को प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के नाम से हजफ किया जाकर उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को हिस्सा बराबर का खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे तथा ख0नं0 1452 रकबा 96 एयर से शूल्या वल्द कल्ला के हिस्सा 1/2 को वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के नाम दर्ज किया जावे । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त भूमि का विभाजन किया जावे तथा पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2062 से 2065 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2062 से 2065 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2019 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2039 प्रदर्श–4, प्रदर्श–5, प्रदर्श–6, प्रदर्श–7, प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सं0 2019 प्रदर्श–9, प्रदर्श–10, प्रदर्श–11, प्रदर्श–12, प्रदर्श–13, नकल नामान्तरकरण दिनांक 19.5.57 प्रदर्श–14, प्रदर्श–15, प्रदर्श–16, प्रदर्श–17, प्रदर्श–18, प्रदर्श–19, प्रदर्श–20, प्रदर्श–21, प्रदर्श–22, नकल नामान्तरकरण दिनांक 24.6.89 प्रदर्श–23, नकल नामान्तरकरण दिनांक 3.9.98 प्रदर्श–24, नकल जमाबंदी सं0 2015 से 2018 प्रदर्श–25, प्रदर्श–26, प्रदर्श–27, प्रदर्श–28, प्रदर्श–29, प्रदर्श–30, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध प्रदर्श–31, नकल मिलान क्षेत्रफल एकीकरण प्रदर्श–32 पेश किए है एवं वादी रामचरण के बयान कराए हैं।

दिनांक 1.4.2015 को वादीगण एवं प्रतितवादीगण ने हाजिर अदालत होकर एक राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया।

राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि उनके मध्य पांच आदमियों के समझाने से व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। भूमि ख0नं0 1200, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1449, 1450, 1188, 1368, 1434, 1210, 1211, 1212, 1213, 1357, 1358, 1359, 1360, 1437 ग्राम तलावडा में स्थित है जिसमें वादीगण का 3/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 ता 7 का 3/7 हिस्सा है इसी अनुसार खातेदार घोषित किया जावे। विभाजन के लिए दावा हम बाद में पेश कर देंगे।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2015 से 2018 के अनुसार भूमि बन्दोवस्त ख0नं0 631/1 रकबा 18 विस्वा, 634/1 रकबा 13 बीघा, 636/1 रकबा 7 विस्वा, 638/1 रकबा 2 विस्वा, 639/1 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा, 640/1 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, 641/1 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, 645/2 रकबा 19 विस्वा, 647/2 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, 653/2 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 736/1 रकबा 18 विस्वा, 740/1 रकबा 10 विस्वा, 742/1 रकबा 7 विस्वा, 744/1 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, 760/1 रकबा 2 विस्वा, 761/1 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, 763/1 रकबा 18 विस्वा, 1026/1 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, 1029/1 रकबा 3 बीघा 9 विस्वा, 1030/1 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, 1032/1 रकबा 15 विस्वा, 1033/1 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा, 1034/1 रकबा 9 विस्वा, 1045/1 रकबा 15 विस्वा, 1046/1 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 1047/1 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, 1048/1 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, 756/1 रकबा 8 विस्वा, 754/1 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा कुल किता 29 रकबा 40 बीघा 3 विस्वा व खाता संख्या 185 सं0 2015 लगायत 2018 ख0नं0 622 रकबा 2 बीघा, ख0नं0 627 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा,ख0नं0 628 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा कुल रकबा 7 बीघा 8 विस्वा ग्राम तलावडा में है इसमें 1/2 हिस्सा कल्ला पुत्र गोपाल की खातेदारी की भूमि थी। नामान्तरकरण सं0 16 दिनांक 19.5.57 द्वारा 9 बीघा 2 विस्वा भूमि बद्री पुत्र कल्ला के नाम, नामान्तरकरण सं0 17 दिनांक 19.5.57 द्वारा 6 बीघा 1 विस्वा भूमि फूल्या पुत्र कल्ला के नाम, नामान्तरकरण सं0 18 दिनांक 19.5.57 द्वारा 7 बीघा 3 विस्वा भूमि श्योपाल पुत्र कल्ला के नाम, नामान्तरकरण सं0 19 दिनांक 19.5.57 द्वारा 9 बीघा 8 विस्वा भूमि पांच्या पुत्र कल्ला के नाम दर्ज कर दी गई। कल्ला के 7 पुत्र बदरी, रामचरण, फूल्या, रामखिलाडी, श्योपाल, रामनिवास, पांच्या हुए जिनमें बदरी मर चुका है तथा बदरी के पुत्र पृथ्वीराज, भरतलाल, रामकेश व पत्नि रामपति हैं। इस प्रकार कल्ला की भूमि में उसके पुत्र रामचरण, फूल्या, रामखिलाडी, श्योपाल, रामनिवास, पांच्या का 1/7, 1/7 हिस्सा तथा बदरी के वारिस पृथ्वीराज, भरतलाल, रामकेश, रामपति का 1/7 हिस्सा होना चाहिए परन्तु इनके नाम कम–ज्यादा भूमि दर्ज कर दी गई। कल्ला की खातेदारी की भूमि के वर्तमान ख0नं0 1200, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1449, 1450, 1188, 1368, 1434, 1210, 1211, 1212, 1213, 1357, 1358, 1359, 1360, 1437 बने हैं जिनमें वादीगण का 3/7 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 का 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 5 लगायत 7 का 1/7 हिस्सा दर्ज होना चाहिए एवं इसी अनुसार उपरोक्त नम्बरो में हिस्सा दर्ज करने हेतु इन पक्षकारों ने राजीनामा भी पेश किया है। राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ख0नं0 1200, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1449, 1450, 1188, 1368, 1434, 1210, 1211, 1212, 1213, 1357, 1358, 1359, 1360, 1437 ग्राम तलावडा में वादीगण रामचरण, रामखिलाडी, रामनिवास पुत्रान कल्ला माली को 3/7 हिस्से का, प्रतिवादी पृथ्वीराज, भरतलाल, रामकेस पुत्रगण बदरी, रामपति बेवा बदरी जाति माली को 1/7 हिस्से का प्रतिवादी फूल्या, श्योपाल, पांच्या पुत्रगण कल्ला जाति माली को 3/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त भूमि के वर्तमान में दर्ज इन्द्राज निरस्त किए जाकर

उपरोक्तानुसार खातेदारी इन्द्राज दर्ज किए जावें। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे ।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

1. रामचरण पुत्र कल्ला, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
2. रामखिलाडी पुत्र कल्ला, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
3. रामनिवास पुत्र कल्ला,माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी

––वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र बदरी, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
2. भरतलाल पुत्र बदरी, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
3. रामकेस पुत्र बदरी, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
4. रामपति बेवा बदरी, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
5. फूल्या पुत्र कल्ला, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
6. श्योपाल पुत्र कल्ला, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
7. पांच्या पुत्र कल्ला, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
8. रामबल पुत्र मोती, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी (मृतक)
8/1 सूरजमल पुत्र रामबल, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
8/2 गुलबाई पत्नि रंगलाल पुत्र रामबल माली निवासी झोड, बामनबडौदा के पास तहसील गंगापुरसिटी
9. रामसहाय पुत्र मोती, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी
10.सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. – 23/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कार्रवाई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई, श्रीमती मीना शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाकर खानं0 1200, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1449, 1450, 118, 130, 134, 1210, 1211, 1212, 1213, 1357, 1358, 1359, 1360, 1437 कुल ... में से वादीगण रामचरण, रामखिलाडी, रामनिवास पुत्रान कल्ला ... हिस्से का, प्रतिवादी पृथ्वीराज, भरतलाल, रामकेस पुत्रगण ... जाति माली को 1/7 हिस्से का, प्रतिवादी फूल्या, श्योपाल, पांच्या पुत्रगण कल्ला जाति माली को 3/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त भूमि के वर्तमान में दर्ज इन्द्राज निरस्त किए जाकर ... इन्द्राज दर्ज किए जावें। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख ... जावे। पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.04.2015 को जारी किया गया।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		